न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 29/2020

–: प्रार्थी :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. सीताराम पुत्र धोकलराम जाति खाती (सुथार) निवासी ग्राम रजलानी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. विनोद पुत्र रामप्रसाद 2. भुवनेश्वर पुत्र रामप्रसाद जातियान साद निवासी ग्राम रजलानी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर 3. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:–

1. श्री गुमानराम चौधरी, रामकिशोर चौधरी, रामदयाल चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:–19/03/2021**

प्रार्थी वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया तथा अपनी ओर से निवेदन किया कि ग्राम रजलानी तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा की कृषि भूमि खसरा नं. 124 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा, सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा भूमि है जिस पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज काश्त है तथा अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। वादग्रस्त आराजी केवल प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ माठे व धोरे कायम है तथा वादग्रस्त खसरा नं. 124 राजस्व नक्शे में तरमीमसुदा है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के पश्चिम दिशा में डोली की भूमि आई हुई है जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 सेवक/पुजारी की हैसियत से काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बदमाश प्रवृति के लोग है जो आये दिन प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की पश्चिमी दिशा में स्थित माठ, धोरा को खुर्द बुर्द करने पर उतारू रहते है। इसी नियत से दिनांक 04.07.2020 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी पर आये व प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी की पश्चिमी दिशा की माठ व धोरे को खुर्द बुर्द करने लगे [illegible] वादग्रस्त आराजी की पश्चिमी दिशा में कच्चे पत्थरों से दीवार का निर्माण [illegible] संख्या 01 व 02 से निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी [illegible] भूमि है त[illegible] नक्शे में तरमीमसुदा है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार [illegible] है व उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है, इसलिए आपको वादग्रस्त आराजी की पश्चिमी दिशा के माठ व धोरे को खुर्द बुर्द करने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

अवैध कब्जा करने व कच्चे पत्थरों से दीवार निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रार्थी से अत्यधिक नाराज हो गये व प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी पर जबरन अवैध कब्जा करके वादग्रस्त आराजी की पश्चिमी दिशा के माठ व धोरे को खुर्द बुर्द करेंगे व कच्चे पत्थरों से दीवार का निर्माण करेंगे व प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देंगे जबकि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए न्याय हित में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा भूमि है जिस पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज काश्त है तथा अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त आराजी नक्शे में तरमीमसुदा है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ माठे व धोरे कायम है। अगर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी के पश्चिमी दिशा की माठ व धोरे को खुर्द बुर्द करके प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी में अवैध कब्जा करके पश्चिमी दिशा में कच्चे पत्थरों से दीवार निर्माण करके प्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिनका मूल्यांकन रूपये पैसों में नहीं आंका जा सकेगा। अतः प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर दिनांक 06.07.2020 को प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध इस आशय की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी कि ग्राम रजलानी तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा की कृषि भूमि खसरा नं. 124 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि में अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 02 की ओर से श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसमें बताया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 124 राजस्व ग्राम रजलानी में आई हुई है उसके चिपते ही बदिशा पश्चिम में जवाबदेहन्ता की भूमि खसरा नं. 123 आई हुइ है, दोनों के बीच में वक्त सेटलमेन्ट से पुरानी माठ बनी हुई है। प्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज है तथा जवाबदेहन्ता अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी ने मात्र अनावश्यक अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से मनगढत झुठा आरोप लगाकर प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि अप्रार्थीगण जवाबदेहन्ता बदमाश एवं झगडालू प्रवृति के व्यक्ति हो, प्रार्थी का यह कथन भी सरासर गलत है कि प्रार्थी की खातेदारी वादग्रस्त भूमि को जवाबदेहन्ता द्वारा खुर्द बुर्द करने का भी कोई प्रसास किया गया हो, प्रार्थी का यह कथन भी सरासर गलत है कि जवाबदेहन्ता द्वारा दिनांक 04.07.2020 को प्रार्थी के खातेदारी भूमि एवं धोरा माठ को खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया हो, जबकि सत्यता यह है कि, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 123 व 124 के बीच में वक्त सेटलमेन्ट से पुरानी माठ आई हुई है जो मौके पर अतिक्रमण रहित [illegible] जवाबदेहन्ता द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण किया [illegible] द्वारा प्रार्थी के खातेदारी की भूमि को छोडकर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पुजारी एवं [illegible] के अधिकारों का उपयोग उपभोग करते हुये आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिये तथा [illegible] भूमि रक्षा के लिये अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि में कच्चे पत्थरों की दीवार निकाली जा रही है जिसको प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

रूकवाने का कानूनन कोई अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में गलत तथ्य पेश कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा निकाली जा रही दीवार में दखलअंदाजी करने पर जवाबदेहन्ता की भूमि के पैमाईश हेतु तहसीलदार भोपलगढ़ को दिनांक 19.06.2020 को आवेदन किया गया, तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही कर दिनांक 22.06.2020 को भूमि पैमाईश हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रजलानी को कमिश्नर मुर्कर किया था। भू अभिलेख निरीक्षक रजलानी द्वारा दिनांक 01.07.2020 को मौके पर आकर पक्षकारान के अरू–बरू खसरा नं. 123 व 124 की पैमाईश की गयी। उक्त पैमाईश एवं नाप चौप के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खेतों के बीच उक्त सेटलमेन्ट से पुरानी माठ सुरक्षित होना पाया तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा निकाली जा रही कच्ची पत्थरों की दीवार जवाबदेहन्ता द्वारा अपने कब्जासुद भूमि में निकाली जा रही है। दिनांक 01.07.2020 की फर्द पैमाइश की फोटो प्रति इस जवाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश की जा रही है जिसे इस जवाब प्रार्थना का पार्ट मानकर पढा जावे। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बनता है, यदि किसी कारणवश कानून के बाहर जाकर प्रार्थी के मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में नाममात्र का अनुतोष दिया जाता है तो अप्रार्थीगण जवाबदेहन्ता को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे।

वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नं. 124 रकबा 07–07 बीघा भूमि को पडौसी खातेदार पुजारी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 खुर्द बुर्द कर रहे है, इसलिए दावे के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को दीवार निकालने से रोका जाए अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। विद्वान अप्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 123 व 209 का सीमाज्ञान कराने हेतु तहसील में पैमाईश का प्रार्थनापत्र दिनांक 19.06.2020 को लगाया तथा दिनांक 22.06.2020 का पैमाईश के आदेश हुए थे जबकि कॉज ऑफ एक्शन दिनांक 04.07.2020 को उत्पन्न होना प्रार्थी द्वारा बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। प्रार्थी के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया मामला, न ही सुविधा का संतुलन तथा न ही अपूरणीय क्षति का बिन्दु बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र कॉस्ट के साथ खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस वकुलाय उभय पक्ष पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अपने खातेदारी खेत ग्राम रजलानी के खसरा नं. 124 रकबा 07–07 बीघा के संबंध में है तथा अप्रार्थीगण की भूमि भी ग्राम रजलानी में ही खसरा नं. 123 व 209 है, जिसकी अप्रार्थीगण ने पैमाईश करवाई है। चूंकि प्रार्थी और अप्रार्थीगण दोनों अलग–अलग भूमि के खातेदार है। इस प्रकार प्रार्थी के खेत खसरा नं. 124 रकबा 07–07 बीघा भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय [illegible] पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राज[illegible] योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 06.07.2020 को प्रार्थी के पक्ष में एवं अ[illegible]गण के विरूद्ध जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को राजस्व मूल वाद विचारण दौरा[illegible] इस आशय का किया जाता है कि ग्राम ग्राम रजलानी तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा की कृषि भूमि खसरा नं. 124 रकबा 07 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:12 IST
Reason: SelfAttested

रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 19/03/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:12 IST
Reason: SelfAttested